(1)

प्र.नं. 832
फीस 1500
शब्द 373
वर्क 2

कार्यालय उपजिलाधिकारी हर्रैया
वाद सं० 4189/2019 कंप्यूटर वाद सं० T201917140010-
4189 अंतर्गत धारा 34 उ० प्रदेश राजस्व संहिता 2006
बाबत मौजा - बान्सखोर टप्पा - पुरैना परगना - अमोढ़ा
तहसील - हर्रैया, जिला - बस्ती।
सुभाष चन्द्र/शिवनाथ प्रकाश बनाम देवेन्द्र/इन्द्रपाल/शिव०/महेन्द्र
डिग्री कार्यालय हर्रैया — पत्राक — (तत्काल)
नकल आदेश दिनांक 29.7.19

नोट :- (आदेश की छायाप्रति संलग्न है)

कार्यालय / न्यायालय उपजिलाधिकारी / उपजिला मजिस्ट्रेट
हर्रैया-बस्ती

3/
15.00
29-7-19

FIVE RUPEES INDIA
CANCEL

PTO

श्रीमान तहसीलदार हरैया जनपद- बस्ती ·

महोदय!

निवेदन है कि गाटा सं० 933 स्थित ग्राम · मान्धाखास तपा · पुरैना, परगना · अमोढा, तह० हरैया जनपद- बस्ती प्रार्थी की भूमिधरी है। उक्त भूमि के बगल सटा गाटा सं० 934 है। गाटा सं० 933 व 934 आपस में सटे नम्बरान है प्रार्थी को नजरी नक्शा प्रदर्शित करते हुए सटा चक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक है।

अत: श्रीमान जी से निवेदन है कि गाटा सं० 933 व गाटा सं० 934 स्थित ग्राम · मान्धाखास, तपा · पुरैना परगना · अमोढा, तह० हरैया जनपद · बस्ती का नजरी नक्शा प्रदर्शित करते हुए सटा गाटा प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें।

[illegible]
[illegible]
कार्यवाही करें।
तहसीलदार
हरैया-बस्ती
20·7·19

प्रार्थी.
सुबाष चन्द्र त्रिपाठी ·
प्रबन्धक
ब्रह्मदेव इन्द्रमती महिला
डिग्री कालेज
मान्धाखास हरैया
20 · 7 - 19

श्रीमान जी
ग्राम मान्धाखास तप्पा पुरैना परगना अमोढा तहसील हरैया जिला बस्ती मे स्थित गाटा संख्या 933 व 934 आपस मे सटे है।
अत: रिपोर्ट सेवा मे प्रेषित।

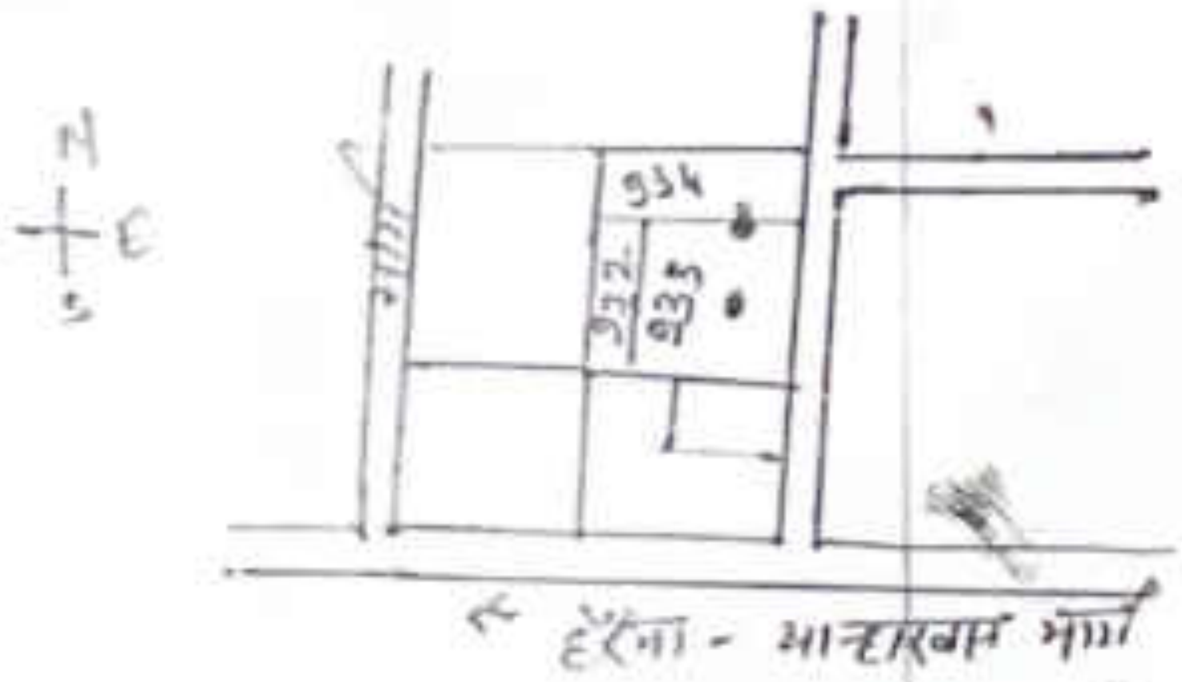

आख्या स्वीकृत

तहसीलदार
हरैया-बस्ती
20-7-19

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बस्ती,जनपद :बस्ती,तहसील :हरैया
वाद संख्या :-04189/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201917140104189
सुभाष चन्द्र त्रिपाठी प्रबन्धक ब्रम्हदेव इन्द्रमती त्रिपाठी महिला डिग्री कालेज हरैया बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
ग्राम थान्हाखास तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा

निर्णय

प्रस्तुत वाद ब्रहमदेव इन्द्रमती त्रिपाठी महिला डिग्री कालेज हरैया वार्ड नम्बर 4 उग्रसेन नगर नगर पंचायत हरैया द्वारा प्रबन्धक सुभाष चन्द त्रिपाठी ने अपनी भूमिधरी आराजी गाटा संख्या 933/0.298 हे0 स्थित ग्राम थान्हाखास तप्पा पुरैना को अकृषिक प्रयोजन की भूमि घोषित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 80 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि विवादित गाटा संख्या 298मि0/0.020हे0 रक्बे पर भवन बनाकर भूमि का कृषि से इतर अकृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। अतएव भूमि के उक्त रक्बे को अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए भू राजस्व से मुक्त किया जाय। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसील से आख्या प्राप्त किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया। उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली में संलग्न तहसीलदार हरैया की आख्या दिनांक 24.07.2019 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम थान्हाखास तप्पा पुरैना परगना अमोढा तहसील हरैया जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1424-1429 फसली के खाता संख्या 57 के गाटा संख्या 933/0.298 हे0 पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं। तहसील की आख्यानुसार उक्त भूमि गाटा संख्या 933/0.298 हे0 पर भवन बनाकर भूमि का कृषि से इतर अकृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। अतएव उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए भू राजस्व से मुक्त किया जाय।उक्त भूमि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की उप धारा 80(7) से बाधित नही है तथा सार्वजानिक प्रयोजन की भूमि नही है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसील की आख्या एवं अन्य अभिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। पत्रावली में संलग्न ग्राम थान्हाखास तप्पा पुरैना परगना अमोढा तहसील हरैया जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1424-1429 फसली के खाता संख्या: 57 के गाटा संख्या 933/0.298 हे0 पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। पत्रावली में विवादित भूमि को अकृषिक प्रयोजन की भूमि घोषित किये जाने हेतु तहसील की आख्या के साथ विवादित भूमि पर बने मकान का फोटो संलग्न है। वादी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहित-2006 की नियमावली के नियम 85(2) में निर्धारित किये गये उद्घोषणा शुल्क के अनुसार (जो उस ग्राम हेतु जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार अगणित रकम का एक प्रतिशत है) रुपया 29000=00 ट्रेजरी चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा हरैया में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत किया गया है, तथा न्याय शुल्क रूपया 29,000=00 का कोर्ट फीस स्टाम्प दाखिल किया गया, जो पत्रावली में संलग्न है। तहसील की आख्यानुसार गाटा संख्या 933/0.298 हे0 पर भवन बनाकर भूमि का कृषि से इतर अकृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा तो वर्तमान में हो रहे उपयोग के अनुसार उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में अकृशिक प्रयोजन हेतु भूमि घोशित करते हुए भू राजस्व से मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम थान्हाखास तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1424-1429 फसली के खाता संख्या 57 के गाटा संख्या: 933/0.298 हे0 भूमि को अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए लगान मुताबिक परता भू0 राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबंधक हरैया को प्रेषित किया जाय।तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाय।

दिनांक :

29.07.19

(जगदम्बा सिंह)
उप जिलाधिकारी,
हरैया-बस्ती।

नकल प्रदान करने का तारीख 29-7-19
नकल तैयार होने की तिथि 29-7-19
नकल वितरण करने की तिथि 29-7-19
प्रतिलिपि तैयार करने वाले का हस्ताक्षर
जांचकर्ता के हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

गैडर/अह0
न्यायालय उपजिलाधिकारी/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
हरैया-बस्ती 29-7-19